9/C

पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० व हक०) द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र० प्रयागराज
Phones: Off 2622625-26
Fax. 0532-2624402

सत्यमेव जयते

पत्रांकः—पेंशन विविध/LID- 1012 – 1097
दिनांकः— 06/01/2023

सेवा मे,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी
समस्त कोषागार
ई-मेल द्वारा भेजा गया

विषय :— अन्य राज्यों के राज्य कर्मचारियों कें पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान ।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक पेंशन विविध/मंहगाई राहत /अन्य प्रान्त/ दिनांक के कम में मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत सम्बन्धी शासनादेशों की प्रतियाँ प्रेषित कर रहा हूँ, जिसके अनुसार सम्बन्धित राज्य की पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि में मंहगाई राहत की दर एवं प्रभावी तिथि निम्नानुसार होगीः—

कमांक	राज्य का नाम	विषय /दर/प्रभावी तिथि	शासनादेश का संदर्भ
1	CHHATTISGARH	छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें । मानवाँ वेतन 01.10.2022 मे देय मंहगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 5% वृद्धि उपरान्त मंहगाई राहत का प्रतिशत 33% छठवाँ वेतनमान 01.10.2022 से देय मंहगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 12% वृद्धि उपरान्त मंहगाई राहत का प्रतिशत 201%	Ref- G.O. 771/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 15/11/2022
2	ARUNACHAL PRADESH	Revision of Rate of Dearness Relief to state Govt. Pensioners/Family pensioners-effective from-01.07.2022	Ref: G.O. No. FIN/E-II/07/97(Pt) Dated 23/11/2022

आपसे अनुरोध है, कि संलग्न शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उक्त दरों से, सम्बन्धित राज्य के पेंशनरों को पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान देयता के आधार पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवम इस कार्यालय को भी सूचित करें । उक्त आदेशों की प्रति कोषागार के नोटिस बोर्ड में चस्पा करके व्यापक रूप से प्रचारित कर एवं अपने अधीनस्थ उप कोषागारों एवं बैंको को भी एक प्रति प्रेषित करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार ।

भवदीय
(signature)
वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

No. Pension(Misc)/ 1091 — 1097 dated :- 6/0/2023

Copy forwarded for information and necessary action to:-

SL.	Name of the Office & Address
1	Office of The Principal Accountant General (A&E)-II, Chhatisgarh.Raipur Zero point Baloda Bazar Road, Raipur-492005
2	Director of Audit & Pension, Govt. of Arunachal Pradesh, Nahar Lagun -791110
3	Director of Treasuries, Jawahar Bhawan, 10th Floor, Lucknow 226001
4	निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ -226001
5	Sr. Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow-226010.
6	Dy. Accountant General (Pension) Cell Local.
7	Sr. Accounts Officer, Computer Cell , O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj-211001

6/1/2023

वरि0 लेखाधिकारी / पेंशन

8/1
6/01/2023

O/C

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक: पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्रा.पत्र./ 1672   EE280476316IN   दिनांक 21/12/2022

प्रति

वित्त निर्देश 32/2022

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 771/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.11.2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

—0—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 607/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 14.09.2022 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.08.2022 से 28% (सातवें वेतनमान में) एवं 189% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी:–

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	01.10.2022	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 5%	33%
छठवां वेतनमान	01.10.2022	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 12%	201%

3/ उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्यूत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम–2/चार, दिनांक 5–10–76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की

पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम–2/चार, दिनांक 27–7–76 सहपठित ज्ञापन एफ. बी.6/10/77/नि–2/चार, दिनांक 2–5–77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24–7–2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई–4/1–83/नि–5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग–1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
DIRECTORATE OF AUDIT AND PENSION
MINI SECRETARIAT, NAHARLAGUN.

No. DAP/PEN-II/99-2000/VOL-I/ 103 - 04

Dated 06 DEC 2022

To

GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH
FINANCE,PLG&INV DEPARTMENT: CIVIL SECRETARIAT
ITANAGAR.

N0. FIN/E-II/07/97(Pt) / 556

Dated Itanagar, the 23rd Nov,2022.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - **Revision of Rate of Dearness Relief to State Govt. Pensioners/family pensioners - Effective from 01-07-2022.**

In pursuance to the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions'OM. No.42/07/2022-P&PW(D) Dated 08.10.2022 (copy enclosed) on the subject mentioned above, the Governor of Arunachal Pradesh is pleased to order that the Dearness Relief (DR)payable to State Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced by 4% from the existing rate of 34% to 38% with effect from 1st July, 2022. The DR arrears for the period from 1st July'2022 to Nov'2022 shall also be paid in cash.

All other terms and conditions as enunciated in the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions' OM No.42/07/2022-P&PW(D) Dated 8th October'2022. shall remain unchanged.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Sd/- (Y.W.Ringu)
Secretary (Finance),
Govt. of Arunachal Pradesh,
Itanagar

Memo No. FIN/E-II/07/97(Pt) / 556

Dated Itanagar, the 23/11/2022.

Copy to:-

1. The Secretary to Hon'ble Governor, Arunachal Pradesh, Itanagar.
2. The PPS to Hon'ble Chief Minister, Arunachal Pradesh, Itanagar.
3. The PS to Hon'ble Dy. Chief Minister, Arunachal Pradesh, Itanagar.
4. The PS to Hon'ble Speaker/ Hon'ble Dy. Speaker, Arunachal Pradesh, Itanagar/ Naharlagun.
5. The Principal Accountant General, Arunachal Pradesh, Itanagar,
6. The PS to Hon'ble Ministers/Advisors/Chairman's Arunachal Pradesh, Itanagar.
7. The US to Chief Secretary, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar.
8. The PS to Principal Secretary Finance, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar.
9. All Principal Secretaries/. Commissioners /Secretaries/ Addl Secy/Spl Secy of various Deptts, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar/Naharlagun.
10. The Director General of Police, Govt of Arunachal Pradesh, Itanagar.
11. The Registrar, Guwahati High Court, Itanagar Permanent Bench, Yupia.
12. The Principal Resident Commissioners, Govt. of Arunachal Pradesh, Arunachal Bhawan, Chanakyapuri, Kautiliya Marg, New Delhi.

DESPATCH DATE: 06/01/2023			
SL.No	Despatch No.	Name of Treasury	Name of States of D.R. Order
1	1012	Agra	**CHHATTISGARH** Ref- G.O. 771/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 15/11/2022 **ARUNACHAL PRADESH** Ref: G.O. No. FIN/E-II/07/97(Pt) Dated 23/11/2022
2	1013	Aligarh	
3	1014	Prayagraj-1(Coll)	
4	1015	Prayagraj-2(Indira Bhawan, Civil Lines)	
5	1016	Ambedkar Nagar	
6	1017	Auraiya	
7	1018	Azamgarh	
8	1019	Badaun	
9	1020	Bagpat	
10	1021	Bahraich	
11	1022	Ballia	
12	1023	Balrampur	
13	1024	Banda	
14	1025	Barabanki	
15	1026	Barreilly	
16	1027	Basti	
17	1028	Bijnore	
18	1029	Bulandshahar	
19	1030	Chandauli	
20	1031	Chitrakut	
21	1032	Deoria	
22	1033	Etah	
23	1034	Etawah	
24	1035	Farrukhabad	
25	1036	Fatehpur	
26	1037	Faizabad	
27	1038	Firojabad	
28	1039	Gautam Budh Nagar	
29	1040	Gaziabad	
30	1041	Ghazipur	
31	1042	Gonda	
32	1043	Gorakhpur	
33	1044	Hamirpur	
34	1045	Hardoi	
35	1046	Hathras	
36	1047	Jalaun	
37	1048	Jhansi	
38	1049	Jyotibaphule Nager	
39	1050	Jaunpur	
40	1051	Kannauj	
41	1052	Kanpur Nager	
42	1053	Kanpur Dehat	

43	1054	Kaushambi	
44	1055	Lakhimpur Kheeri	
45	1056	Lalitpur	
46	1057	Lucknow-1(Coll)	
47	1058	Lucknow-2 Jawahar Bhawan	
48	1059	Mahoba	
49	1060	Maharajganj	
50	1061	Mainpuri	
51	1062	Mathura	
52	1063	Mau	
53	1064	Meerut	
54	1065	Mirzapur	
55	1066	Moradabad	
56	1067	Mujaffer Nager	
57	1068	Padrauna	
58	1069	Pilibhit	
59	1070	Pratapgarh	
60	1071	Raibarelly	
61	1072	Rampur	
62	1073	Saharanpur	
63	1074	Sant Kabir Nagar	
64	1075	Sant Ravidas Nagar	
65	1076	Shahjahanpur	
66	1077	Shrawasti	
67	1078	Sidharth Nagar	
68	1079	Sitapur	
69	1080	Sonebhadra	
70	1081	Sultanpur	
71	1082	Unnao	
72	1083	U.P Bhawan N Del.	
73	1084	Varanasi	
74	1085	Kasganj/Kashi Ram Nagar	
75	1086	Kushi Nager	
76	1087	Hapur	
77	1088	Shamli	
78	1089	Sambhal	
79	1090	Amethi	